


272

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

1-गरी-2098-1115
प्रकरण क्र.

/2015 पुनरीक्षण

श्रीमती भगुन्ती पत्नी नारायण अहिरवार
निवासी ग्राम रेखा, तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)



--- आवेदक

श्री मुकेश भागवत - एडवोकेट
द्वारा आज दि. 8-7-15 को
प्रस्तुत
for D. No. 8-7-15
न्यायालय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

- (1) श्रीमती शांति बेवा दुर्गा बसोर
 - (2) राजू (3) रवि पुत्रगण दुर्गा बसोर
 - (4) रणधीर सिंह पुत्र बराती लाल सिंह
- निवासीगण ग्राम रेखा तहसील लवकुशनगर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

--- अनावेदकगण

W3
मुकेश भागवत
8-7-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/बी-121/10-11 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2015 के विरुद्ध म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- (1) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है ।
- (2) यह कि, आ. नं. 271/10, 271/11 रकवा क्रमशः 0.445 है. व 0.304 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.749 है0 भूमि मौजा रेखा तहसील लवकुशनगर (लौड़ी) में स्थित भूमि का पट्टा वर्ष 1973-74 में प्रकरण क्र. 12 अ-19/73-74 आदेश दिनांक 21.10.1973 को अनावेदक क्र. 1 के पति व क्र. 2 व 3 के पिता दुर्गा बसोर को प्राप्त हुआ था । दुर्गा की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर अनावेदकगण 1 ता 3 का नाम उत्तराधिकार के अनुसार

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2098-एक/2015

जिला छतरपुर

भगुन्ती विरूद्ध शांति

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 04/बी-121/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29-04-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के.जेन) सदस्य 25/02/2019</p>